विकास बहल ज. के सामने

फारुख-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

सी. आर. एम.-एम. सं. 49052, 2021 का

24 नवंबर, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-धारा1 56 (3)** और **482-**याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को भेजने के लिए एक शिकायत दर्ज की-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और शिकायतकर्ता को प्राथमिक साक्ष्य/गवाही देने का निर्देश दिया-**धारा 482** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दायर की गई-स्वीकृत-मान लिया**,** यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध हुआ है-यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-निचली अदालत को नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

यह मान लिया गया कि पुलिस (अनुलग्नक पी-2) को की गई शिकायत के साथ-साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नूंह (अनुलग्नक पी-3) को की गई शिकायत को पढ़ने से, यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है।हालांकि, मेवात के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कानून के तय किए गए प्रस्ताव पर विचार किए बिना एक अस्पष्ट और गैर-भाषी आदेश पारित किया। (पैरा 7)

आगे कहा कि उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल उल्लेख किया गया है कि मामले का विश्लेषण किया गया है और मामले को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजने का कोई आधार नहीं है। यह भी देखा गया है कि वर्तमान मामले में किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया गया है।उपरोक्त अवलोकन उस यांत्रिक तरीके को दर्शाते हैं जिसमें आदेश पारित किया गया है। यदि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ-साथ उक्त बिंदु पर कानून पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया होता, तो अदालत इस तथ्य को स्वीकार करती कि वर्तमान मामला चोरी का मामला है और एक प्रामाणिक शिकायतकर्ता को पता नहीं होता कि चोरी किसने की है और इस प्रकार, संभवतः उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता जिसने चोरी की थी।ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य था ताकि जांच की जा सके और चोरी का अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए और ट्रक को बरामद कर याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए।याचिकाकर्ता, पुलिस की सहायता के बिना, अपने स्तर पर जांच करना और यह पता लगाने के लिए कि चोरी आदेश वाला व्यक्ति कौन है को लागू नहीं कर सकता है।

(विकास बहल, ज.)

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है।मामले के तथ्यों के साथ-साथ इस मुद्दे पर कानून से अनजान, उपरोक्त गूढ़ आदेश पारित किया गया है और जाहिर है, मामले को प्रारंभिक साक्ष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है और मामला आज तक उसी के लिए लंबित है।कोई यह नहीं समझ सकता कि उक्त कार्यवाही से क्या निकलेगा क्योंकि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि चोरी किसने की है और इस प्रकार, किसी भी आरोपी व्यक्ति को बुलाने का सवाल ही नहीं उठेगा।इसलिए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मेवात की ओर से पूरी तरह से विवेक का उपयोग नहीं किया । (पैरा 8)

विरेंद्र राणा-याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता,

प्रवीण भादु, अतिरिकत न्यायवादी, हरियाणा।

विकास बहल**, ज. (**मौखिक**)**

(1) यह 23.04.2019 को दाखिल 2019 की शिकायत संख्या 89 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मेवात (अनुलग्नक पी-1) द्वारा पारित दिनांक 01.10.202019 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका है, जिसे अदालत ने धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शिकायत भेजने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान अभिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पंजीकरण वाले ट्रक संख्या.RJ-14-GJ-3170 का मालिक है और 21.03.2019 को ट्रक पर, याचिकाकर्ता अंबाला से आया था और लगभग शाम 6 बजे, उसने अपना ट्रक मनीष होटल में एचपी पेट्रोल पंप सोहना-तौरू रोड, तौरू के सामने खड़ा किया था और अपने ट्रक को ताला लगा दिया था। 22.03.2019 की सुबह, जब याचिकाकर्ता अपने ट्रक पर लौटा, तो वह वहाँ नहीं था।याचिकाकर्ता ने अपने ट्रक की खोज की लेकिन उसे खोजने में सफल नहीं हो सका।इसके बाद याचिकाकर्ता ने संबंधित थाना अधिक्षक से संपर्क किया और जब उसे कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उसने पुलिस अधीक्षक, नूंह के समक्ष एक आवेदन दायर किया और उक्त आवेदन की एक प्रति मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए संलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न की गई है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और तदनुसार, कोई अन्य

विकल्प नहीं छोड़ा गया, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी , नूह के न्यायालय में भा.दं.सं. की धारा 379 के तहत 2019 (संलग्नक पी-3) की शिकायत संख्या 2019 की 89 दर्ज की।

यह तर्क दिया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नूंह ने बिना किसी समझदारी के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करते हुए एक अस्पस्ट आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से अभियोजन गवाहू. 1 के रूप में पूछताछ की जाए और मामले को प्रारंभिक साक्ष्य के लिए रखा जाए।यह तर्क दिया जाता है कि पारित किया गया उक्त आदेश आत्यन्तिक रूप से अवैध और कानून के खिलाफ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि मामला प्रारंभिक साक्ष्य के लिए 11.01.2022 के लिए लंबित है और आज तक कोई समन आदेश जारी नहीं किया गया है और वास्तव में, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है क्योंकि यह जांच का विषय है कि याचिकाकर्ता के ट्रक की चोरी किसने की है और याचिकाकर्ता के लिए प्राथमिकी दर्ज किए बिना स्वयं इसका पता लगाना संभव नहीं है।

(4) निर्देशों पर, विद्वान राज्य वकील इस मामले में पेश हुए हैं और वह मामले पर बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।विद्वान राज्य के वकील ने कहा है कि वर्तमान याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(5) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और और मामले का अध्ययन किया ।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी के मामले (अर्थ) में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

XXX---- XXX---- XXX

“110) इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न जवाबी दावों को देखते हुए, क्या केवल यह आवश्यक है कि पुलिस को दी गई या जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए।ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट. दर्ज करना अनिवार्य है।हालांकि, अगर दी गई जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता है, तो तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है कि क्या एक संज्ञेय अपराध किया गया है।लेकिन, यदि दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का उल्लेख है, तो तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के चरण में अन्य विचार प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे कि क्या जानकारी गलत तरीके से दी गई है, 1

क्या जानकारी वास्तविक है, क्या यह जानकारी विश्वसनीय है आदि। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट. की जाँच के दौरान सत्यापित किया जाना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के चरण में, क्या केवल यह देखा जाना चाहिए कि क्या दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है।यदि जाँच के बाद दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाने का हमेशा एक विकल्प होता है।

निष्कर्ष/निर्देशः

111) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैंः

i) संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

(ii) यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

iii) यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए।उसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए।

iv) यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है।गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं यदि उनके द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

v) प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

vi) किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

मामलों की श्रेणी जिन प्रारंभिक जाँचों को किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं:

क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

ख) वाणिज्यिक अपराध

ग) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

(घ) भ्रष्टाचार के मामले

ई) ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चनें हैं, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी। उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

vii) अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।

viii) चूंकि सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी एक पुलिस स्टेशन में प्राप्त सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि संज्ञेय अपराध से संबंधित सभी जानकारी, चाहे वह प्राथमिकी दर्ज करने के परिणामस्वरूप हो या जांच के लिए अग्रणी हो, उक्त डायरी में अनिवार्य रूप से और सावधानीपूर्वक दिखाई जानी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी ऊपर उल्लिखित रूप से दर्शाया होना चाहिए।"

(7) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि जहां पुलिस को दी गई जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत इस आशय की थी कि उसका ट्रक 21.03.2019 और 22.03.2019 की दरम्यानी रात में चोरी हो गया था।पुलिस (अनुलग्नक पी-2) को की गई शिकायत के साथ-साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नूंह (अनुलग्नक पी-3) को की गई शिकायत को पढ़ने से, यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है। हालांकि, मेवात के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कानून के तय किए गए प्रस्ताव पर विचार किए बिना एक अस्पस्ट और गैर-भाषी आदेश पारित किया।उक्त आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

-

1075 फारूख बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल, ज.)

"एस. के तंवर आवेदक के लिए अधिवक्ता ए. टी. आर. रिपोर्ट प्राप्त हुआ। मामला तूल पकड़ रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मामला भेजने का कोई आधार नहीं है। धारा 156 (3) □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□, के तहत अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया।मामले का संज्ञान लेने की दिशा में यह सामने आया है कि मामले में आरोपी का नाम नहीं लिया गया है। अपराध का संज्ञान लिया गया । प्रारंभिक गवाही साक्ष्य में शपथ लेने पर शिकायतकर्ता को अभियोजन गवाहू.-1 के रूप में दर्ज किया गया है।अनुरोध पर शेष प्रारंभिक गवाही के लिए 21.12.2019 को स्थगित कर दिया गया।"

(8) उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल उल्लेख किया गया है कि मामले पर विचार किया गया है और मामले को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजने का कोई आधार नहीं है। यह भी देखा गया है कि वर्तमान मामले में किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया गया है।उपरोक्त अवलोकन उस यांत्रिक तरीके को दर्शाते हैं जिसमें आदेश पारित किया गया है।यदि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ-साथ कानून के उक्त बिंदु पर पर अपने उचित विवेक में विचार किया होता, तो अदालत इस तथ्य को स्वीकार करती कि वर्तमान मामला चोरी का मामला है और एक प्रामाणिक शिकायतकर्ता को पता नहीं होता कि चोरी किसने की है और इस प्रकार, संभवतः उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता जिसने चोरी की थी।ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य था ताकि जांच की जा सके और चोरी का अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए और ट्रक को बरामद कर याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए।याचिकाकर्ता, पुलिस की सहायता के बिना, अपने स्तर पर जांच नहीं कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी आदेश वाला व्यक्ति कौन है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी ऐसे मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता है।मामले के तथ्यों के साथ-साथ इस मुद्दे पर कानून से अनजान, उपरोक्त गूढ़ आदेश पारित किया गया है और जाहिर है, मामले को प्रारंभिक साक्ष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है और मामला आज तक उसी के लिए लंबित है। कोई यह नहीं समझ सकता कि उक्त कार्यवाही से क्या निकलेगा क्योंकि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि चोरी किसने की है और इस प्रकार, किसी भी आरोपी व्यक्ति को बुलाने का सवाल ही नहीं उठेगा।इसलिए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मेवात की ओर से पूरी तरह से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है।

(9) अनिल कुमार और अन्य बनाम एम. के. अयप्पा और अन्य में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था

कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पारित आदेश में दर्शाया होना चाहिए और केवल यह कहना कि उसने शिकायत दस्तावेजों को देखा है और शिकायतकर्ता को सुना है, पर्याप्त नहीं होगा और आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट के साथ जिन बिंदुओं पर विचार किया गया है, वे आदेश में दर्शाया होने चाहिए।

(10) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है और दिनांक 01.10.2019 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(11) उक्त आदेश इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त होगा

Vetted by: Shiv Charan

Translator, Sessions Division, Panipat